# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 31 / 2026

सस्थित दिनांक 27.07.2026

Shri Tek Prasad Patel, ....परिवादी

Address - House No. 79, Capital City,

Phase 2, Saddu, Raipur (C.G.)

**विरूद्ध**

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पूर्व), ....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

## आदेश

**(दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित)**

अपने परिसर में सोलर संयंत्र के स्थापित होने के बाद उसके माध्यम से उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित यूनिट (एक्सपोर्ट यूनिट) का समायोजन आगामी देयक में न किए जाने से असंतुष्ट होकर एवं देयक में सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ प्रदान किए जाने के निवेदन के साथ परिवादी द्वारा यह परिवाद ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. मकान नं.–79, कैपिटल सिटी फेज–2, सड्डू, रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, घरेलू उपयोग हेतु, 6.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन, बी.पी.कमांक 1006850752 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. परिवादी द्वारा अपने परिसर में सोलर संयंत्र की स्थापना की गयी है जिसका सिंक्रोनाईजेशन उत्तरवादी की सप्लाई के साथ दिनांक 26.06.2026 को किया गया ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी द्वारा अपने परिसर में स्थापित सोलर संयंत्र का सिंक्रोनाईजेशन उत्तरवादी द्वारा यद्यपि दिनांक 26.06.2026 को कर दिया गया लेकिन इससे उत्पादित एवं उत्तरवादी के ग्रिड को प्रेषित एक्सपोर्ट यूनिट का समायोजन आगामी देयक में

नहीं किया गया । सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ आगामी देयक में प्रदान किए जाने का निवेदन परिवादी द्वारा किया गया है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 2171 दिनांक 31.07.2026 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के माह जून 2026 के देयक में टैरिफ परिवर्तन न किए जाने के कारण परिवादी को उसके सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ नहीं मिल पाया था । दिनांक 29.07.2026 को परिवादी के विद्युत कनेक्शन के टैरिफ में परिवर्तन कर दिया गया है । मीटर की जांच करने पर माह जून 2026 में 51 यूनिट परिवादी के सोलर संयंत्र द्वारा ग्रिड में एक्सपोर्ट होना दर्ज है । दर्ज एक्सपोर्ट यूनिट के अनुसार परिवादी के देयक में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है जिससे उसे देयक में रू. 401.00 का लाभ प्राप्त हुआ है ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

क्या परिवादी के देयक में सोलर रिबेट देते हुए उत्तरवादी द्वारा देयक संशोधित किया जाना सही एवं नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान परिवादी उपस्थित नहीं हुए । उत्तरवादी द्वारा फोरम को यह बताया गया कि परिवादी के मीटर में माह जून 2026 के लिए दर्ज वास्तविक एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ देते हुए उसका देयक संशोधित कर दिया गया है ।

फोरम यह मानता है कि परिवादी के मीटर में दर्ज, सोलर प्लांट से उत्तरवादी के ग्रिड में प्रेषित यूनिट का समायोजन परिवादी के देयक में किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सही एवं सोलर विनियमों के अनुसार है ।

7. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में सफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

परिवादी के सोलर संयंत्र से उत्पादित एवं ग्रिड में एक्सपोर्ट की गयी वास्तविक यूनिट का समायोजन परिवादी के देयक में कर दिया गया है । फोरम के

मतानुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

8. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

आदेश पारित किया गया

(निमिष परमार)
सदस्य

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष